भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 अप्रैल, 1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/8/52-स्थापना की प्रतिलिपि ।

विषय:- सेवा संबंधी मामलों पर सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदन-अग्रिम प्रतियां ।

.....

इस मंत्रालय में प्राय: ऐसे पत्र प्राप्त होते रहते हैं जिनमें यह पूछा जाता है कि क्या उच्चतर प्राधिकारियों को सम्बोधित अभ्यावेदनों की अग्रिम प्रतियां प्रस्तुत की जानी अनुज्ञेय हैं और यह कि ऐसी प्रतियों के संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई की जाए । इस विषय पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है और सभी संबंधित व्यक्तियों के मार्गदर्शन के लिए निम्न अनुदेश जारी किए जाते हैं ।

2. जब कभी कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित अधिकारों या शर्तों के बारे में कोई दावा करना चाहता है या किसी शिकायत का निवारण करना चाहता है तो उसके लिए सही तरीका तो यह है कि उसे अपने निकटतम **उच्चाधिकारी या अपने कार्यालय अध्यक्ष** अथवा निम्नतर स्तर के ऐसे अन्य प्राधिकारी को अभ्यावेदन करना चाहिए जो कि मामले पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम हो । उच्चतर प्राधिकारी को कोई भी अपील या अभ्यावेदन तब तक बिलकुल नहीं करना चाहिए जब तक कि समुचित निम्नतर प्राधिकारी ने उसके दावे को पहले ही नामंजूर न कर दिया हो या **राहत** देने से इन्कार न किया हो या उसके दावे को अनदेखा न किया हो या मामले के निपटाने में अत्यधिक देरी न लगाई हो । और भी उच्चतर प्राधिकारियों को अभ्यावेदन (जैसे कि राष्ट्रपति, सरकार या माननीय मंत्रियों को संबोधित) अनिवार्यत: उचित माध्यम से (अर्थात संबंधित कार्यालय अध्यक्ष आदि) भेजे जाने चाहिए । उस स्थिति में और उस स्थिति में भी अभ्यावेदन की केवल अग्रिम प्रति सीधे भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

3. अभ्यावेदनों की इस प्रकार प्राप्त हुई अग्रिम प्रतियों के बारे में उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों से शासित होनी चाहिए :-

(क) यदि अग्रिम प्रति से यह बात स्पष्टत: पता नहीं चलती कि निम्नतर प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने या क्षतिपूर्ति पाने के सभी साधन विधिवत् रूप से आजमा लिए गए हैं तो अभ्यावेदन को उसी आधार पर अनदेखा या सरसरी तौर पर नामंजूर कर देना चाहिए और कारणों के बारे में सरकारी कर्मचारियों को संक्षेप में अवगत करा दिया जाना चाहिए । यदि सरकारी कर्मचारी फिर भी उच्चतर प्राधिकारियों को इस प्रकार समयपूर्व अभ्यावेदन भेजने में लगा रहता है तो उसके विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए ।

.....2/-

(ख) यदि अग्रिम प्रति से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समुचित निम्नतर प्राधिकारियों को विधिवत् रूप से अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं और वे असफल रहे हैं तो यह पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए कि क्या बताए गए तथ्यों के आधार पर हस्तक्षेप किए जाने या और आगे विचार किए जाने के कोई आधार प्रथम दृष्टया बनते हैं या नहीं । जिन मामलों में ऐसे कोई आधार प्रतीत नहीं होते उनमें अभ्यावेदन अनदेखा या सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया जाए और ऐसा किए जाने के कारणों से सरकारी कर्मचारी को सक्षेप में अवगत करा दिया जाए ।

(ग) ऐसे मामलों में भी जिनमें हस्तक्षेप किए जाने या और आगे विचार किए जाने के कुछ आधार प्रतीत होते है, समुचित निम्न तर प्राधिकारी से एक उचित समय के भीतर यह कहना चाहिए कि वह उठाए गए बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट और टिप्पणियों सहित मूल अभ्यावेदन भेज दे । इस प्रकार समुचित निम्नतर प्राधिकारी की टिप्पणियों की जानकारी प्राप्त किए बिना किसी अभ्यावेदन पर कोई आदेश पारित करने का सामान्यत: कोई औचित्य नहीं है ।

4. कुछ सरकारी कर्मचारियों की यह आदत होती है कि वे अपने अभ्यावेदनों की प्रतियां संबद्ध प्राधिकारियों को जैसे कि ऐसे प्राधिकारियों को जो कि उनके अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए सीधे संबंधित नहीं हैं (उदाहरण के लिए अन्य माननीय मंत्री, सचिव, संसद सदस्य आदि) भेजते रहते हैं । यह एक अत्यन्त आपत्तिजनक परिपाटी है जो कि सरकारी मर्यादा के प्रतिकूल है और श्रेष्ठ अनुशासन की विरोधी है और सभी सरकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है व कि वे पूरी ईमानदारी से इस प्रवृत्ति से दूर रहेंगे ।

5. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में अलग से अनुदेश विद्यमान हैं और ये अनुदेश उन अधिकारियों पर लागू नहीं होते ।

6. अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेश सभी सरकारी कर्मचारियों की जानकारी में ला दिए जाएं ।